अनिल क्षेत्रपाल के समक्ष , जे.

जयपाल-अपीलार्थी

बनाम

श्रीमति विध्या देवी और अन्य-2014 का प्रतिवादीगण आर. एस. ए. No.5136

15 जनवरी, 2019

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-O. 6, Rl. 6-भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872-S. 17-प्रतिवादीगण द्वारा दायर किए गए चार दीवानी मुकदमे जिसमें अपीलकर्ता (सूरत सिंह के पोते) के पक्ष में सूरत सिंह (एक मुकदमे में वादी) द्वारा निष्पादित त्याग पत्रों को चुनौती दी गई थी-दलों के सामान्य पूर्वज दलीप सिंह, उनके स्वामित्व वाली भूमि को विभाजित किया-वे और सूरत सिंह सहित उनके तीन बेटे एक-एक चौथाई भूमि के मालिक बन गए-दलीप सिंह की मृत्यु के बाद उनके तीन बेटे एक-एक तिहाई भूमि के मालिक बन गए-सूरत सिंह ने भी अपने और अपने तीन बेटों के बीच पारिवारिक समझौते के माध्यम से भूमि विभाजित की-सूरत सिंह ने अपीलकर्ता (अपने पूर्व मृत बेटे के बेटे) के पक्ष में 2 त्याग पत्र निष्पादित किए-सूरत सिंह द्वारा निष्पादित इन दो रिलीज डीड।

जयपाल बनाम श्रीमति विध्या देवी और अन्य सम्पति पैतृक संम्पति थी। और सूरत सिंह को त्याग विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नही था। सूरत सिंह द्वारा दायर मुकदमें में यह दलील दी गई थी कि जयपाल अपने दादा सूरत सिंह को कार्यवाहक नम्बरदार (गांव का मुखिया) बनाने के बहाने तहसील कार्यालय में

लेकर गया था और उसके साथ धोखाधडी की गई थी। निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत यह करते हुए त्याग विलेख को रद्व कर दिया कि विमोचन विलेख सीमांत गवाहो द्वारा साक्ष्याकित किए गये थें जो उस गांव के निवासी या मुखिया नही थे जहॉ पर पार्टिया रहती थी। सीमांत गवाहों में से एक के बेटे ने कहा कि उसे सम्पति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नही थी और न हीं वह दस्तावेज निष्पादित होने के समय उपस्थित था। एक विमोचन विलेख में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता सूरत सिंह की देखभाल कर रहा था लेकिन दूसरे में उसका उल्लेख नही था अपील मंजूर हुई। **त्याग डीड को चुनौती देते हुए 4 मुकदमें दायर किए गये। आरोप है कि** मान लिया कि न्यायालयों द्वारा दिया गया पहला कारण यह है कि विभिन्न गाँवों के प्रधान ने **सीमांत** गवाह के रूप में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं।यह ध्यान दिया जा सकता है कि ग्यार्शी लाल के कथन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ग्यार्शी लाल ने कहा है कि वह सूरत सिंह को जानते थे और चूंकि ग्यार्शी लाल **तहसील** परिसर में उपलब्ध हैं, इसलिए उन्होंने **सीमांत** गवाह के रूप में स्थानांतरण विलेख पर हस्ताक्षर किए **विमोचन विलेख दिनांकित 14/11/2002** अन्य प्रमाणक गवाह और दो सीमांत **गवाह** के संबंध में भी यही स्थिति है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
2019(1)

सबसे पहले, स्थानांतरण विलेख/त्याग विलेख को सीमांत गवाहों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।दूसरा, सीमांत गवाहों को केवल अधिक प्रामाणिकता जोड़ने और दस्तावेज़ को साबित करने में पक्ष को सुविधा प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज़ पर सीमांत गवाह उसी गाँव का होना चाहिए या वह उसी गाँव का मुखिया होना चाहिए।गवाह किसी भी गाँव का हो सकता

है, बशर्ते अदालत को संतोष हो कि दस्तावेज़ के निष्पादन के समय सीमांत गवाह मौजूद था।ऐसी परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि सीमांत गवाह अलग-अलग गाँव के थे, एक पंजीकृत दस्तावेज़ की शुद्धता पर संदेह करने के लिए एकमात्र परिस्थिति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।(पैरा 13) आगे कहा कि, दूसरे कारण के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि चाप सिंह, जो दुर्गा राम के पुत्र थे, नंबरदार, दिनांकित 14/11/2002 रिहाई विलेख के सीमांत गवाह, से केवल दुर्गा राम, नंबरदार के हस्ताक्षरों को साबित करने और उनकी पहचान करने के लिए पूछताछ की गई थी, क्योंकि तब तक दुर्गा राम, नंबरदार की मृत्यु हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में, डी. डब्ल्यू. 3 के रूप में पेश हुए चाप सिंह को न तो दस्तावेजों की सामग्री जानने की आवश्यकता थी और न ही उन्हें निष्पादन और दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय उपस्थित होने की आवश्यकता थी, और न ही उन्हें संपत्ति या दस्तावेजों की कोई व्यक्तिगत जानकारी होने की आवश्यकता थी।एक गवाह जिससे एक मामूली गवाह के अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पूछताछ की गई है, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह निष्पादित दस्तावेज़ की सामग्री का विवरण जानता है या दस्तावेज़ के निष्पादन के समय उपस्थित होने की आवश्यकता है, इससे पहले कि उसके साक्ष्य को ध्यान में रखा जा सके।

(पैरा 14) ने आगे कहा कि न्यायालयों द्वारा सौंपा गया अगला कारण भी उतना ही गलत है क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच त्याग विलेख निष्पादित किया जाता है ताकि पक्षों के बीच विवाद

को सुलझाया जा सके।यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज़ में यह दावा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण किया जा रहा है वह निष्पादक की सेवा कर रहा है या उसकी देखभाल कर रहा है।परिवार के सदस्यों के बीच हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख प्रेम और स्नेह के बदले में और कुछ पारिवारिक समझौते के कारण बिना किसी विचार के संपत्ति के हस्तांतरण का साधन हैं।इस तरह के हस्तांतरण विलेखों को उपहार के बराबर नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 15) ने आगे कहा कि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धोखाधड़ी को साबित करने के लिए, प्रमाण का आवश्यक मानक बहुत अधिक है और यह

आपराधिक मामले को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य, यानी उचित संदेह से परे साबित हुआ।सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 4 में प्रावधान है कि धोखाधड़ी का विवरण देकर धोखाधड़ी का अनुरोध किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी को केवल निष्कर्षों के आधार पर नहीं माना जा सकता है। अदालतों द्वारा केवल संदेह के आधार पर धोखाधड़ी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज़ में शुद्धता की धारणा होती है। एक पंजीकृत दस्तावेज़ के लिए अनुमान की एक उच्च डिग्री उपलब्ध है।न्यायालय धोखाधड़ी का अनुमान/**मानना** नहीं लगा सकते हैं,

चाहे संदेह कितना भी मजबूत हो, इसके समर्थन में ठोस और ठोस साक्ष्य के अभाव में।

(पैरा 17)

गुरिंदर पाल सिंह, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए सभी मामलों में

जयवीर यादव, अधिवक्ता

उत्तरदाता Nos.8,9,12,19 के लिए 2014 के RSA No.5136 में, उत्तरदाता Nos.1,2a, 2f, 4 के लिए 2014 के RSA No.5137 में, उत्तरदाता Nos.1,7,8 और 12 के लिए 2015 के RSA No.600 में, उत्तरदाता No.1a के लिए 2015 के RSA No.646 में

संदीप कुमार यादव, अधिवक्ता

उत्तरदाता Nos.6,9,10 और 11 के लिए 2014 के RSA No.5137 में, उत्तरदाता Nos.2e, 2h, 2i और 3 के लिए RSA No.600/2015 में, उत्तरदाता Nos.1 f, 1g, 1h, 1k के लिए RSA No.646/2015 में, उत्तरदाता Nos.1,2,7 और 10 के लिए 2014 के RSA No.5136 में

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) इस निर्णय द्वारा, 2014 का आर. एस. ए. Nos.5136,5137 और 2015 का आर. एस. ए. Nos.600 और 646 का निपटारा किया जाएगा क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा दायर चार मुकदमों का निपटारा निचली अदालत के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित एक समेकित फैसले द्वारा किया गया है।पक्षों के वकील इस बात पर भी सहमत हैं कि इन अपीलों का निपटान एक सामान्य निर्णय द्वारा आसानी से किया

जा सकता है क्योंकि जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता होती है वे सामान्य हैं।

(2) इस न्यायालय की सुविचारित राय में, निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैंः-

(i) क्या एक पंजीकृत दस्तावेज़ (परिवार के सदस्यों के बीच हस्तांतरण विलेख) को अत्यधिक उच्च स्तर/मानक के निर्विवाद साक्ष्य की उपलब्धता के बिना धोखाधड़ी के आधार पर अलग किया जा सकता है जो न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि दस्तावेज़ धोखाधड़ी का परिणाम था?

((ii) क्या एक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, जिसे सीमांत गवाह द्वारा सत्यापित नहीं किया जाना है, को केवल इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि विभिन्न गाँव के प्रधान (नंबरदार) ने सीमांत गवाह के रूप में सत्यापित किया है?

(3) चार मुकदमे दायर किए गए थे, दो सुरेंद्र पाल द्वारा, एक सूरत सिंह द्वारा और चौथा विद्या देवी द्वारा सूरत सिंह द्वारा अपने पोते जयपाल के पक्ष में किए गए दो त्याग पत्रों (परिवार के सदस्यों के बीच स्थानांतरण पत्र) को चुनौती दी गई थी। पक्षों के बीच अंतर-संबंध को समझने के लिए, एक वंशावली तालिका बनाना अधिक उपयुक्त होगा, जिसे नीचे दिया गया हैः-

"दलीप सिंह **दलीप**

/--

----------------------------**सूरत सिंह**

होशियार सिंह **राजेन्द्र**

(एक मुकदमें में वादी) **/**
बीर सिंह
/
सुरेन्द्र पाल **देशराज**
विद्या देवी
जयपाल
(दो मुकदमें में वादी) **(प्रतिवादी/अपीलकर्ता)**
(एक मुकदमें में वादी)
/
/

सूरत सिंह

होशियार सिंह

राजेंद्र

(एक मुकदमे में वादी)

--

/
/
/

सुरेंद्र पाल

देश राज

बीर सिंह

(दो मुकदमों में वादी)

/
/
/ /---- विद्या देवी जयपाल
/ (एक मुकदमे में वादी)
(प्रतिवादी/अपीलार्थी) उषा

(4) दलों के सामान्य पूर्वज दलीप सिंह का वर्ष 1972 में निधन हो गया।वे 578 बीघा और 11 **किला** जमीन के मालिक थे। दलीप सिंह और उनके तीन बेटों सूरत सिंह, होशियार सिंह और राजेंद्र के बीच पारिवारिक समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का समान हिस्से की सीमा तक विभाजन हुआ।इस प्रकार,

प्रत्येक बेटे के साथ-साथ दलीप सिंह संपत्ति में एक चौथाई हिस्से के मालिक बन गए।जोतों का समेकन हुआ और दलीप सिंह और उनके तीन बेटों के स्वामित्व वाली भूमि के बदले में परिवार को 1402 कनाल और दो मरले की भूमि आवंटित की गई। **1/4 हिस्से की सीमा तक।** वर्ष 1972 में दलीप सिंह की मृत्यु हो गई और उनके एक चौथाई हिस्से के बाद उनके तीन बेटे भी बराबर हिस्से में उनके उत्तराधिकारी बने।इस प्रकार, प्रत्येक पुत्र 1402 कनाल और 2 मार्ला की भूमि में एक तिहाई हिस्से का मालिक बन गया।

(5) वादी-प्रत्यर्थियों का यह मामला स्वीकार किया जाता है कि सूरत सिंह, जिनके तीन बेटे और एक बेटी भी थी, ने भी मुकदमा दायर करने से पहले एक पारिवारिक समझौता किया और संपत्ति को तीन बेटों और सूरत सिंह के बीच समान रूप से विभाजित किया गया।इस प्रकार, प्रत्येक पुत्र और पिता सूरत सिंह के हाथों में आई संपत्ति में एक चौथाई हिस्से के मालिक बन गए।

(6) सूरत सिंह के दो बेटों देश राज और बीर सिंह की मृत्यु हो गई।प्रतिवादी-अपीलकर्ता जयपाल है जो देश राज का बेटा है। **श्री** सूरत सिंह ने जयपाल के पक्ष में दो त्याग पत्र (हस्तांतरण विलेख) निष्पादित किए, उनके पोते ने **पक्ष में** 3 कनाल और 1 मरला की भूमि के संबंध में **दिनांकित 14/11/2002** और 22 कनाल और 9 मरला की भूमि के संबंध में 21.11.2002 दिनांकित किया।सूरत सिंह द्वारा निष्पादित इन दो रिहाई

विलेख/त्याग विलेख को चुनौती देते हुए अलग-अलग तिथियों पर चार मुकदमे दायर किए गए थे।यह आरोप लगाया गया था कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है और सूरत सिंह को त्याग विलेख को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था।सूरत सिंह द्वारा दायर मुकदमे में यह दलील दी गई थी कि जयपाल सूरत सिंह को उनके दादा को कार्यवाहक नंबरदार (गांव का मुखिया) बनने के बहाने तहसील कार्यालय ले गया था और उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी।

(7) शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि सूरत सिंह पिछले 4-5 दशकों से अधिक समय से नंबरदार (श्यामपुरा गांव के मुखिया) थे।

(8) जयपाल ने एक लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि संपत्ति पैतृक नहीं थी और हस्तांतरण विलेखों को स्वतंत्र इच्छा और इच्छा के साथ निष्पादित किया गया है क्योंकि देश राज और सूरत सिंह के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और सम्माननीय लोगों और ग्रामीणों के हस्तक्षेप से, सूरत सिंह अपने पोते के पक्ष में कुछ संपत्ति को अपने हिस्से से हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गए, जैसा कि परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में किया जा रहा था।

(9) **विद्वान** विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर रिहाई विलेख (स्थानांतरण विलेख) को रद्द कर दिया हैः-

i) दोनों रिहाई विलेख सीमांत गवाहों द्वारा सत्यापित किए जाते हैं जो श्यामपुरा गाँव के निवासी या मुखिया नहीं हैं जहाँ पक्षकार रहते हैं, हालाँकि गाँव में दो नंबरदार हैं।

(ii) एक सीमांत गवाह के बेटे ने कहा है कि उसे संपत्ति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और न ही वह दस्तावेज़ के निष्पादन के समय मौजूद था।

iii) दिनांक 14.11.2002 के विमोचन विलेख में यह कहा गया है कि जयपाल उनकी देखभाल कर रहे थे और हर तरह से उनकी मदद कर रहे थे, जबकि दिनांकित 21.11.2002 के विमोचन विलेख में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया गया है।

(10) जहां तक पहले कारण का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दोनों रिहाई विलेखों (स्थानांतरण विलेख) के निष्पादक दलीप सिंह स्वयं

श्यामपुरा **गांव के** मुखिया/नम्बरदार **थे।** अलग-अलग गाँवों के दुर्गा राम, नंबरदार और **प्रभाती** लाल, नंबरदार द्वारा दिनांकित 14.11.2002 रिलीज डीड का सत्यापन किया जाता है।इसी तरह, दो सीमांत गवाहों, अर्थात् ग्यार्शी लाल, नंबरदार और राम नंद द्वारा दिनांकित 21.11.2002 रिहाई विलेख की पुष्टि की गई है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि सूरत सिंह ने अपने पूर्व मृत बेटे बीर सिंह की बेटी उषा के पक्ष में 6 कनाल भूमि उसके पक्ष में हस्तांतरित करने पर एक और रिहाई विलेख निष्पादित किया था।इसी तरह, सूरत सिंह ने भी 29.11.2002 पर अपने

बेटे सुरेंद्र पाल के पक्ष में एक और स्थानांतरण विलेख निष्पादित किया।दोनों रिहाई विलेखों यानी दिनांकित 03.12.2001 और 29.11.2002 पर, ग्यार्शी लाल, नंबरदार सीमांत गवाह है।ग्यार्शी लाल, नंबरदार सबूत में डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुए हैं और उन्होंने अपदस्थ किया है कि वह सूरत सिंह, नंबरदार, निष्पादक को जानते थे और इसलिए, वह विभिन्न रिहाई विलेखों के मामूली गवाह बन गए।नम्बरदार, ग्यार्शी लाल ने प्रतिवादी-जयपाल के मामले का समर्थन किया है।उन्होंने जयपाल के पक्ष में दोनों रिहाई विलेखों के निष्पादन को साबित किया है।

(11) सूरत सिंह द्वारा अपने बेटे सुरेंद्र पाल (दो मुकदमों में वादी) और पूर्व मृत बेटे बीर सिंह की बेटी उषा के पक्ष में निष्पादित दो अन्य रिहाई विलेख विवाद में नहीं हैं और उन्हें किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि सूरत सिंह अपने द्वारा निष्पादित और पंजीकृत विभिन्न रिहाई विलेखों के माध्यम से अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्थानांतरित कर रहा था।इसके अलावा, रिहाई विलेखों की प्रतियां फाइल पर उपलब्ध हैं और सभी रिहाई विलेखों पर निष्पादक के साथ-साथ प्राप्तकर्ताओं (वह व्यक्ति जिसके पक्ष में स्थानांतरण किया जा रहा है) की तस्वीर है।इन दस्तावेजों पर सूरत सिंह के हस्ताक्षर विवादित नहीं हैं।दस्तावेजों पर चिपकाई गई तस्वीरों की शुद्धता पर भी कोई विवाद नहीं है।उप-पंजीयक के समक्ष सूरत सिंह की उपस्थिति भी विवाद में नहीं है।सूरत सिंह ने न केवल रिलीज़ डीड पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि **इसपर** अंगूठे भी किए हैं।

(12) अब अदालतों द्वारा दिए गए कारणों से निपटने के लिए मंच तैयार किया गया है ताकि यह माना जा सके कि रिहाई विलेख धोखाधड़ी का परिणाम है।

(13) अदालतों द्वारा दिया गया पहला कारण यह है कि विभिन्न गाँवों के मुखिया ने मामूली गवाह के रूप में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं।यह ध्यान दिया जा सकता है कि ग्यार्शी लाल के कथन को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ग्यार्शी लाल ने कहा है कि वह सूरत सिंह को जानते थे और चूंकि ग्यार्शी लाल तहसील परिसर में उपलब्ध हैं, इसलिए उन्होंने मामूली गवाह के रूप में स्थानांतरण विलेख पर हस्ताक्षर किए।इसी तरह की स्थिति अन्य प्रमाणित करने वाले गवाह और दो सीमांत गवाहों के संबंध में है जो दिनांकित 14.11.2002 के रिहाई विलेख के हैं।

सबसे पहले, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख को सीमांत गवाहों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।दूसरा, सीमांत गवाहों को केवल अधिक प्रामाणिकता जोड़ने और दस्तावेज़ को साबित करने में पक्ष को सुविधा प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज़ पर सीमांत गवाह उसी गाँव का होना चाहिए या वह उसी गाँव का मुखिया होना चाहिए।गवाह किसी भी गाँव का हो सकता है, बशर्ते अदालत को संतोष हो कि दस्तावेज़ के निष्पादन के समय सीमांत गवाह मौजूद था।ऐसी परिस्थितियों में, केवल

इसलिए कि सीमांत गवाह अलग-अलग गाँव के थे, एक पंजीकृत दस्तावेज़ की शुद्धता पर संदेह करने के लिए एकमात्र परिस्थिति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।(14) जहाँ तक दूसरे कारण का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि चाप सिंह, जो दुर्गा राम के पुत्र थे, नंबरदार, दिनांकित रिहाई विलेख के सीमांत गवाह थे, से केवल दुर्गा राम, नंबरदार के हस्ताक्षरों को साबित करने और उनकी पहचान करने के लिए पूछताछ की गई थी, क्योंकि तब तक दुर्गा राम, नंबरदार की मृत्यु हो चुकी थी।इन परिस्थितियों में, डी. डब्ल्यू. 3 के रूप में पेश हुए चाप सिंह को न तो दस्तावेजों की सामग्री जानने की आवश्यकता थी और न ही उन्हें निष्पादन और दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय उपस्थित होने की आवश्यकता थी, और न ही उन्हें संपत्ति या दस्तावेजों की कोई व्यक्तिगत जानकारी होने की आवश्यकता थी।एक गवाह जिससे एक मामूली गवाह के अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पूछताछ की गई है, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह निष्पादित दस्तावेज़ की सामग्री का विवरण जानता है या दस्तावेज़ के निष्पादन के समय उपस्थित होने की आवश्यकता है, इससे पहले कि उसके साक्ष्य को ध्यान में रखा जा सके।(15) अदालतों द्वारा सौंपा गया अगला कारण भी उतना ही गलत है क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच त्याग विलेख निष्पादित किया जाता है ताकि पक्षों के बीच विवाद को सुलझाया जा सके।यह आवश्यक नहीं है कि दस्तावेज़ में यह दावा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरण किया जा रहा है वह निष्पादक की सेवा कर रहा है या उसकी देखभाल कर रहा है। परिवार के

सदस्यों के बीच हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख प्रेम और स्नेह के बदले में और कुछ पारिवारिक समझौते के कारण बिना किसी विचार के संपत्ति के हस्तांतरण का साधन हैं।इस तरह के हस्तांतरण विलेखों को उपहार के बराबर नहीं माना जा सकता है।

(16) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 में 'धोखाधड़ी' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः-

"17. "धोखाधड़ी "परिभाषित।—"धोखाधड़ी का अर्थ है और इसमें किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके एजेंट द्वारा, किसी अन्य पक्ष या उसके एजेंट को धोखा देने के इरादे से, या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किए गए निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य शामिल हैः

— 276

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

(1) एक तथ्य के रूप में, जो सच नहीं है, उसका सुझाव, जो इसे सच नहीं मानता है;

(2) तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना।

(3) उसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया कोई वादा; (4) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;

(5) ऐसा कोई कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है।

स्पष्टीकरण।—किसी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि उनके बारे में बात करने के लिए चुप रहना व्यक्ति का कर्तव्य है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में भाषण के बराबर न हो।"

(17) यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी को पाँच अलग-अलग स्थितियों में वर्गीकृत किया गया है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धोखाधड़ी को साबित करने के लिए, सबूत का आवश्यक मानक बहुत अधिक है और आपराधिक मामले को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत के बराबर है, यानी उचित संदेह से परे साबित। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 4 में प्रावधान है कि धोखाधड़ी का विवरण देकर धोखाधड़ी का अनुरोध किया जाना चाहिए।न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी को केवल निष्कर्षों के आधार पर नहीं माना जा सकता है। न्यायालय द्वारा केवल संदेह के आधार पर धोखाधड़ी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज़ में शुद्धता की धारणा होती है।एक पंजीकृत दस्तावेज़ के लिए अनुमान की एक उच्च डिग्री उपलब्ध है।न्यायालय धोखाधड़ी का अनुमान/अनुमान नहीं लगा सकते हैं, चाहे संदेह कितना भी मजबूत हो, इसके समर्थन में ठोस और ठोस साक्ष्य के अभाव में।वर्तमान मामले में, सूरत सिंह, एक मामले में वादी सबसे अच्छा गवाह था जो अपनी दलीलों को साबित कर सकता था कि जयपाल ने उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।सूरत सिंह सबूत में पेश हुए हैं, लेकिन

जिरह के दौरान उन्होंने उन्हें दिए गए किसी भी सुझाव से पूरी तरह से इनकार किया है।हालाँकि, वह स्वीकार करता है कि वह गाँव का मुखिया है और उसने 29.11.2002 पर अपने बेटे सुरेंद्र पाल के पक्ष में एक रिहाई विलेख निष्पादित किया था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने नित्यानंद के पक्ष में 18 कनाल 16 मरला की जमीन '3,30,000' में बेची-और सुबेय सिंह आदि के पक्ष में 30 कनाल 2 मरला की जमीन 02.08.1985 पर बेची। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सूरत सिंह दस्तावेजों/बिक्री विलेखों के निष्पादन और उन्हें पंजीकृत कराने की प्रक्रिया को जानते थे। इसके अलावा, उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह एक भरोसेमंद गवाह नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि

अपने बेटे और बहू द्वारा दायर अन्य तीन मुकदमों में लिखित बयान दायर किए, उन्होंने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन जब उनका लिखित बयान दर्ज किए गए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लिखित बयान दायर किए हैं।हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनकी पत्नी की मृत्यु कब हुई।उन्हें यह भी सुझाव दिया गया था कि उनकी पत्नी की मृत्यु 2 या 3 या 20 साल पहले हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुलासा करने से इनकार कर दिया।सूरत सिंह के पूरे साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि वह एक भरोसेमंद गवाह नहीं है, इसलिए, इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि रिहाई विलेख केवल इस गवाह (एक मुकदमे में वादी) के बयान पर धोखाधड़ी का परिणाम था।इसके अलावा,

फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दलीप सिंह द्वारा संपत्ति को अपने तीन बेटों और खुद के पक्ष में विभाजित करने के बाद, संपत्ति प्रत्येक बेटे के हाथों में व्यक्तिगत संपत्ति बन गई।सूरत सिंह की मृत्यु के बाद, एक बार फिर संपत्ति उनके प्रत्येक बेटे को प्राकृतिक उत्तराधिकार के रूप में मिली और इसलिए, सूरत सिंह एक तिहाई हिस्से के मालिक बन गए।सूरत सिंह ने भी अपने तीन बेटों के पक्ष में तीन शेयर हस्तांतरित करके संपत्ति को चार शेयरों में विभाजित किया, जबकि एक चौथाई हिस्सा अपने पास रखा।वह संपत्ति जो सभी रिहाई विलेखों का विषय थी, उस संपत्ति का हिस्सा है जिसे सूरत सिंह ने अपने पास रखा था।इसके अलावा, सूरत सिंह परिवार के सभी सदस्यों के पक्ष में रिहाई विलेख निष्पादित कर रहा था।सूरत सिंह स्वयं 4 से 5 दशकों से अधिक समय तक गाँव के नंबरदार रहे।इसलिए, उन्हें बाहरी दुनिया से पर्याप्त संपर्क था और वे दस्तावेजों के निष्पादन और पंजीकरण की प्रक्रिया को जानते थे।ऐसी परिस्थितियों में, अदालतों ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में गलती की कि रिहाई विलेख धोखाधड़ी का परिणाम थे।

(18) तदनुसार, कानून के दोनों प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थी-जयपाल के पक्ष में दिया जाता है।

(19) यह ध्यान दिया जा सकता है कि 09.01.2019 पर, चुनाव लड़ने वाले दल जैसे कि सुरेंद्र पाल, श्रीमती. उषा और जयपाल अदालत के समक्ष पेश हुए और दिनांक 06.01.2019 पर एक समझौता/समझौता दायर किया, जिस पर पक्षों के वकील द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं।हालाँकि, चूंकि सभी पक्षों ने

समझौता विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए इसे रिकॉर्ड में लिया गया था और समझौता विलेख/समझौता जिसे "सी" के रूप में चिह्नित किया गया है, उन पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा जिन्होंने समझौता विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।इसके अलावा, एस. जयपाल ने एक शपथ पत्र भी दायर किया है जिसे अदालत ने "सी-1" के रूप में चिह्नित किया है।जयपाल ने दोनों वकीलों की उपस्थिति में एक वचन दिया है।वह उपरोक्त वचन से बंधा रहेगा। (20) तदनुसार, सभी चार अपीलों को गुण-दोष के साथ-साथ पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर अनुमति दी जाती है। समझौता विलेख के साथ-साथ दिया गया वचन, न्यायालय में दायर 278

डिक्री का हिस्सा बनेगा।(21) उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत